उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.09.2023

थाना पुरवा ,जनपद उन्नाव।

• धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों से जमीन का फर्जी बैनामा कराने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों से जमीन का फर्जी बैनामा कराने वाले तीन वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.07.2023 को प्रार्थी रूप कुमार पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम खानपुर दिलवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना पुरवा पर तहरीरी सूचना दी गई कि प्राथी के सगे मामा राम प्रकाश पुत्र दयाराम उर्फ कृष्णस्वरूप निवासी ग्राम मेदपुर परगना व तहसील व थाना पुरवा जिला उन्नाव हाल निवासी 1001/116 रावतपुर नई बस्ती आदर्श नगर थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर के नाम दर्ज गाटा सं0 369 रकबा 0.6230 हे0 स्थित ग्राम मेदपुर परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव के मालिक स्वामी काबिज थे प्रार्थी के मामा का विवाह नहीं हुआ था प्रार्थी के मामा लाबल्द थे व प्रार्थी के मामा के कोई भाई नहीं थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.04.2020 को हो गयी थी। प्रार्थी के मामा के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि खाली पड़ी थी। प्रार्थी अपने मामा के साथ उनके जीवन काल में अक्सर उनके पैत्रक गांव आता जाता था प्रार्थी दिनांक 18.04.2023 को गांव आया तो प्रार्थी को अफवाहन जानकारी हुयी कि उसके मामा के नाम दर्ज भूमि को टिल्लू उर्फ सतीश नाई पुत्र बंशी मूल निवासी ग्राम पोंगहा थाना पुरवा जिला उन्नाव हाल पता ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जिला उन्नाव व रामरतन पुत्र राजाराम निवासी इब्राहिमपुर व सोनू पुत्र फूलचन्द्र निवासी सभागा व सचिन पुत्र शिव कुमार निवासी मंगलखेड़ा थाना कोतवाली पुरवा जिला उन्नाव ने मिलकर प्रार्थी के मामा की बेसकीमती भूमि को हड़पने व बेईमानी करने की बेजा नियत से षडयन्त्र व जालसाजी एवं कूटरचित व छल कपट करके फर्जी तरीके से कागजात तैयार कराकर बैनामा दिनांक 17.04.2023 को सब रजिस्ट्रार महोदय पुरवा उन्नाव मे पंजीकृत कराया है। प्रार्थी ने उक्त बैनामे की सत्यापित नकल निकलवाया तब प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हुआ कि उपरोक्त लोगो ने षड्यन्त्र के तहत प्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से उपरोक्त फर्जी बैनामा कराया है जब प्रार्थी ने उक्त फर्जी बैनामा के सम्बध मे रामरतन पुत्र राजाराम से पूछा तो रामरतन ने प्रार्थी को तमाम मां बहन की गालियां देते हुए कहा कि यदि कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से धोना पड़ेगा। उक्त बैनामा में उक्त टिल्लू उर्फ सतीश नाई प्रार्थी के मामा रामप्रकाश के स्थान पर स्वयं का फोटो व फरजी आधार कार्ड लगाकर बैनामा किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0स0 332/23 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भा.द.वि पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.09.2023 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. टिल्लू उर्फ सतीश नाई पुत्र बंशी मूल निवासी ग्राम पौगहां थाना पुरवा जनपद उन्नाव हाल मुकाम ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव 2. सोनू पुत्र फूलचन्द्र निवासी सभागा थाना पुरवा जनपद उन्नाव 3. सचिन पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को मंगतखेड़ा बाजार स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.टिल्लू उर्फ सतीश नाई पुत्र बंशी मूल निवासी ग्राम पौगहां थाना पुरवा जनपद उन्नाव हाल मुकाम ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

2.सोनू पुत्र फूलचन्द्र निवासी सभागा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

3.सचिन पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र पाण्डेय
2. हे0का0 रोहित सिंह चन्देल
3. कां0 सचिन कुमार
4. कां0 हिमांशु कुमार

• दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मजुवार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.04.2023 को थाना बेहटा मुजावर पर मु0अ0सं0 79/2023 धारा 363/366 भादवि का पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना अपहृता/पीड़िता को बरामद कर नियमानुसार मेडिकल व बयान माननीय के समक्ष कराये गये, पीड़िता द्वारा माननीय न्यायलय के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 376 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 18.09.2023 को उ0नि0 श्री सुखराम मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम व थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को मटुकरी चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम व थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुखराम
2. का0 महावीर

उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.09.2023
थाना मौरावां ,जनपद उन्नाव।

• चोरी के दो मोबाइल के साथ तीन चोर गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों को चोरी के दो मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.09.2023 को व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोतेश्वर तिराहे से अभियुक्तगण 1. राजा उर्फ मो0 साहिद पुत्र मोहर्रम अली नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 24 वर्ष, 2. सौरभ चौधरी पुत्र रविशंकर नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष, 3. अबरार पुत्र स्व0 इजहार नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 22 वर्ष को कब्जे से चोरी के दो अदद मोबाइल फोन व बिना कागजात एक मोटर साइकिल यू0पी0 32 LH 7061 स्पेलण्डर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो से मोबाइल फोन के बारे में पूछने पर बताया कि राहगीरो से अलग अलग स्थानो पर छीना था । अभियुक्तो के पास बरामद मोबाइल फोन को कब्जे मे लिया गया तथा मोटर साइकिल यू0पी0 32 LH 7061 स्पेलण्डर रंग काला को सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 498/2023 धारा 41/411 आईपीसी बनाम 1. राजा उर्फ मो0 साहिद पुत्र मोहर्रम अली नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव, 2. सौरभ चौधरी पुत्र रविशंकर नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव, 3. अबरार पुत्र स्व0 इजहार नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. राजा उर्फ मो0 साहिद पुत्र मोहर्रम अली नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 24 वर्ष,
2. सौरभ चौधरी पुत्र रविशंकर नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष,
3. अबरार पुत्र स्व0 इजहार नि0 ग्राम सगौली थाना मौरावां, उन्नाव उम्र 22 वर्ष

बरामदगी:- अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन रेडमी व नारजो रीयलमी कम्पनी के बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. हेड कां0 सीताराम
3. हेड कां0 फूल चन्द्र
4. कां0 मुनिराज